an>

title: Regarding suspended BSF officers.

प्रो.विंतामणि मालवीय (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदया, जिस वर्ग की बात मैं सदन में उठाने जा रहा हूं वह केवल मेरे क्षेत्र से ही नहीं, बल्कि सभी माननीय सदस्यों के क्षेत्र से संबंधित मुद्दा है। मैं उनकी आवाज सदन में उठा रहा हूं जो किसी तरह का आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, जो किसी तरह के नारे नहीं लगा सकते हैं और न ही प्रेस कांफ्रेंस कर सकते हैं। जब उन पर अत्याचार होता है, तब वे या तो अत्याचार करते हैं या खून का घूंट पी कर रह जाते हैं।

अध्यक्ष महोदया, मैं सीमा प्रहरियों की बात कर रहा हूं। बंगाल में लम्बे समय से घुसपैठ एक ऐसी स्थिति बन गई है कि कहां हिंदुस्तान की सीमा खत्म होती है और कहां बंगलादेश की सीमा शुरू होती है, यह मालूम ही नहीं पड़ता है। बीच में केवल बीएसएफ की एक लाइन है और बीएसएफ हमारी सीमा की मौजूदगी का अहसास करती है। इस रास्ते से तस्करी बड़ी संख्या में की जाती है। 14 मई को तस्करी करने से रोकने के लिए मुठभेड़ हुई है। तस्करों ने बीएसएफ पर हमला किया और जवाब में जब बीएसएफ ने गोलियां चलाई तो एक बंगलादेशी नागरिक मारा गया। हमारी सरकार ने सात बीएसएफ के जवान और एक सहायक कमांडेंट को इस बात के लिए निलम्बित कर दिया क्योंकि इन्होंने तस्करों पर गोली चलाई।

अध्यक्ष महोदया, जब ये जवान सीमा पर चौकसी करते हुए जागते हैं तब हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। अगर वे अपनी आंख बंद कर लेंगे, तो हम भी चैन से सो नहीं पाएंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी तक सैनिकों की आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे सैनिकों को हतोत्साहित करेगी, उनके मनोबल को तोड़ने का काम करेगी और विदेशी नागरिकों के लिए उन्हें दंडित करने का काम करेगी, तो यह वास्तव में अपराध की तरह का काम होगा।

मैं एक बार फिर आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री और सरकार से मांग करता हूं कि सहायक कमांडेंट और सात जवानों के निलम्बन को वापिस लें और सीमा की सजगता से रक्षा करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री जॉर्ज बेकर, श्री लखनलाल साहू, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भरत सिंह, श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री रोड़मल नागर और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को प्रो. विंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री गणेश सिंह।

अहलूवालिया जी, आपके पीछे माननीय सदस्य बोल रहे हैं।